संख्या-547/22-2-2015-17जी/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक:17 जून, 2015

विषय:-प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की फार्म-ए, नामिनल रोल, इनफरमिटी रोल तथा दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी एवं प्रभावी अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के कारागारों में मा0 न्यायालयों द्वारा आजीवन तथा सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष पुरूष तथा महिला बन्दी बड़ी संख्या में निरूद्ध है, इनमें कतिपय ऐसे बन्दी है, जो कि नितान्त ही असहाय, रूग्ण, गरीब एवं अशिक्षित है। प्राय: यह अनुभव किया जा रहा है कि समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया की जानकारी एवं इसका प्रभावी अनुश्रवण न होने के कारण उपलब्ध शासनादेशों का लाभ बन्दियों को नहीं मिल पाता है, जिससे एक तरफ कारागारों में भीड़ बढ़ने से प्राशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो दूसरी तरफ बन्दी अपने परिवार से अलग रहकर अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता है। उक्त प्रशासनिक कठिनाइयों के निराकरण एवं सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई में गतिशीलता प्रदान किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी नियमों/प्रकिया के कारागार स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 सपठित उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 व 197 के अन्तर्गत इन्फरमिटी रोल तथा प्रस्तर-198 के अन्तर्गत नामिनल रोल एवं यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के मामलों पर विचारण एवं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1658/22- 2-2004-25(94)/97 दिनांक 06-09-2004 तथा शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-250/22-2-2010-25(94)/1997 दिनांक 10-05-2010 उपलब्ध है। यह अनुभव किया गया है कि समयपूर्व रिहाई के मामले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, कारागार अधीक्षक एवं मेडिकल बोर्ड स्तर पर लम्बी अवधि तक संस्तुति के लिए पड़े रह जाते है, जिससे बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं हो पाता है। समयपूर्व रिहाई के मामलों के त्वरित निस्तारण तथा सरलीकरण के उद्देश्य से उक्त शासनादेश दिनांक 06-09-2004 तथा 10-05-2010 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19जी/2012 दिनांक 02-11-2012 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी क्रमशः सदस्य है तथा वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार सदस्य सचिव है। समिति की बैठक वर्ष में 04 माह के अन्तराल में जनवरी, मई तथा सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किये जाने का प्राविधान है, किन्तु मा0 न्यायालयों के आदेशों से अच्छादित प्रकरण/अन्य प्रकरण जिसमें त्वरित कार्यवाही की जानी आवश्यक है अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है। फार्म-ए के आधार पर बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु अभिभावक उपलब्ध कराना आवश्यक है। बन्दी द्वारा अभिभावक उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में यू0पी0 पिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन रूल्स के नियम-2(2) के अन्तर्गत् जिला प्रोबेशन अधिकारी अथवा अन्य कृत्यकारी को बन्दी का अभिभावक नियुक्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-508/22-2-2014-25(94)/97 दिनांक 07-04-2014 द्वारा प्राविधानित है। फार्म-ए, नामिनल रोल तथा इनफरमिटी रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के विचारण हेतु पात्रता के लिए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों के लिए 14 वर्ष की अपरिहार सजा व दिनांक 18-12-1978 के पूर्व दण्डित सिद्धदोष बन्दियों के लिए 14 वर्ष की सपरिहार सजा काटना आवश्यक है। एक वर्ष से अधिक सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित बन्दियों की फार्म-ए के आधार पर रिहाई के विचारण हेतु पात्रता दण्डावधि का 1/3 अपरिहार सजा काटना आवश्यक है।

3- भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत क्षमादान देने, सजा घटाने या सजा में अन्य प्रकार की कटौती किये जाने हेतु मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92 दिनांक 13-04-2005 तथा शासनादेश संख्या-2247/22-2-2005-17(346)/92 दिनांक 25-04-2005 द्वारा किया गया है। दयायाचिका के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के विचारण हेतु सजावधि काटने की बाध्यता नहीं है। इस प्रकार आजीवन तथा सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दी समयपूर्व रिहाई के विचारण के पात्र है।

4- प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध रूग्ण, वयोवृद्ध व घातक बीमारियों से पीड़ित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर विचारण इनफरमिटी रोल के आधार पर किये जाने का

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधान है, किन्तु इसके लिए 14 वर्ष की अपरिहार व दिनांक 18-12-1978 के पूर्व दण्डित सिद्धदोष बन्दी 14 वर्ष सपरिहार सजा काटने के पश्चात ही पात्र होते है। ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-796/22-2-2012-18(64)99 टी0सी0 दिनांक 28-06-2012 द्वारा दयायाचिका के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान है।

5- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 09-07-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियो की समयपूर्व रिहाई की राज्य सरकार की शक्तियों के प्रयोग किये जाने पर रोक लगा दी गयी है तथा प्रकरण मा0 उच्चतम् न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार वर्तमान में सीमित दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों के सम्बन्ध में ही समयपूर्व रिहाई पर विचारण/रिहाई की जा सकती है। अत: आजीवन तथा सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों के प्रकरण जो विभिन्न स्तरों पर लम्बित है की जिलावार निम्नलिखित तालिका बना ली जाये :-

प्रारूप-1

आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का विभिन्न स्तरों पर लम्बित रहने का विवरण :- (प्रकरणों की संख्या)

क्र0	जन पद का नाम	बन्दी	रिहाई प्रक्रिया	डी0 एम0	शासन	मुख्यालय	कारागार	पात्र नहीं	अस्वीकृत	बन्दी द्वारा इन्कार	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		पुरूष	फार्म-ए								
			नामिनल रोल								
			इलफर मिटीरोल								
			दयायाचिका								
		महिला	फार्म-ए								
			नामिनल रोल								
			इनफरमिटी रोल								
			दयायाचिका								

प्रारूप-2

सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का विभिन्न स्तरों पर लम्बित रहने का विवरण :-(प्रकरणों की संख्या)

क्र0	जनपद का नाम	बन्दी	रिहाई प्रक्रिया	डी0 एम0	शासन	मुख्यालय	कारागार	पात्र नहीं	अस्वीकृत	बन्दी द्वारा इन्कार	योग

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		पुरूष	फार्म-ए								
			दयायाचिका								
		महिला	फार्म-ए								
			दयायाचिका								

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त् सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी नियमों, प्रक्रिया एवं प्राविधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कारागार स्तर पर करते हुए प्रभावी समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों के अनुश्रवण हेतु कारागार मुख्यालय के आदेश संख्या-18546(1)/प्रोबेशन-3/2015 दिनांक 29-05-2015 द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार मुख्यालय को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र-1 तथा 2 में सूचना नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कारागार मुख्यालय के ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जाये। नोडल अधिकारी उल्लिखित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में रखेगा एवं प्रभावी अनुश्रवण करेगा। समयपूर्व रिहाई के सबसे अधिक प्रकरण किस कारागार में सबसे अधिक लम्बित है की वरीयता क्रम में संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेगा।

7- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-547(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -'

1- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
2- समस्त परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0।
3- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक आदर्श/केन्द्रीय/जिला कारागार, उ0प्र0।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in